विधान परिषद के द्वितीय सत्र–2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित तथा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 का उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सनातन धर्म शिक्षा परिषद/सनातन धर्म इण्टर कालेज, रामपुर की प्राभूत अचल सम्पत्ति किस अधिकारी की अनुमति से बेची गयी है?	सनातन धर्म शिक्षा परिषद/सनातन धर्म इण्टर कालेज रामपुर की प्राभूत अचल सम्पत्ति तत्कालीन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर के रूप में (प्रधानाचार्य, प0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माडल इण्टर कालेज, ककरौआ, रामपुर) द्वारा विक्रय की अनुमति दी गई थी।
(ख) क्या अनुमति देने वाले अधिकारी इसके लिए सक्षम थे? इसकी जाँच के लिए कोई जाँच समिति गठित की गयी जिसने दिनांक 04.05.2022 को अपनी रिपोर्ट में जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर के दिनांक 27.01.2022 एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 25.04.2022 के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत की थी ?	अचल सम्पत्ति विक्रय की अनुमति प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर के रूप में श्री हरिनाथ सिंह, प्रधानाचार्य प0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज, ककरौआ, रामपुर द्वारा दी गयी जो इसके लिए सक्षम अधिकारी नहीं थे। प्रकरण में श्री राजीव कुमार मांगलिक के शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर द्वारा जाँच समिति गठित कर दोषियों की जाँच कराई गयी। जाँच समिति द्वारा दिनांक 27.01.2022 को जाँच आख्या कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर को प्रेषित की गयी। श्री राजीव कुमार मांगलिक के अनुरोध पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 25.04.2022 के द्वारा जाँच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जाँच समिति को दिये गये, जिसके क्रम में जाँच समिति द्वारा दिनांक 04.05.2022 को जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी।
(ग) उक्त जाँच आख्या के प्रमुख बिन्दु क्या है? क्या सरकार शिक्षा विभाग के इतने बड़े घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच करायेगी तथा दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों को दंडित करेगी?	जाँच आख्या के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैः– 1. सनातन धर्म शिक्षा परिषद/सनातन धर्म इण्टर कालेज, रामपुर की सम्पत्ति का विक्रय प्रबन्धक द्वारा विधिक नियमावली का पालन किये बिना किया गया? 2. सनातन धर्म शिक्षा परिषद/सनातन धर्म इण्टर कालेज, रामपुर की सम्पत्ति को विक्रय करने संबंधी प्रस्ताव प्रबन्ध समिति से अनुमोदित कराया गया? 3. यदि हाँ, तो क्या प्रबन्ध समिति द्वारा पास प्रस्ताव/अनुमोदन सम्बन्धी अभिलेख प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका में उल्लिखित है और समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हैं? 4. शिकायतकर्ता श्री राजीव कुमार मांगलिक व

अन्य के द्वारा समिति के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर तथा तथ्यों को छुपाकर श्री पंकज अग्रवाल द्वारा सम्पत्ति का विक्रय किये जाने के आरोप की सत्यता की जाँच।

5. शिकायतकर्ता के पत्र में उल्लिखित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त अनुमति का क्या आधार है?

6. क्या सम्पत्ति आवासीय है अथवा व्यवसायिक?

7. विक्रित सम्पत्ति बाजारी मूल्य पर विक्रय की गयी है अथवा नहीं?

8. क्या सम्पत्ति विक्रय में प्रबन्धक की एकल भूमिका प्रबन्धक के व्यक्तिगत लाभ लेने की पुष्टि करती है?

9. किन कारणों से मा0 न्यायालय के आदेश के उपरान्त गठित जाँच समिति को प्रबन्धक द्वारा जाँच में सहयोग नहीं किया गया?

जी हाँ। उक्त प्रकरण की जांच करायी गई। तद्क्रम में अनियमित रूप से भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में तत्कालीन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक श्री हरीनाथ सिंह (प्रधानाचार्य, प0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज, ककरौआ, रामपुर) को शिक्षा निदेशक (मा0) उ0 प्र0 के आदेश दि. 26.07.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्था के दोषी प्रबन्ध तंत्र के विरूद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16-डी के अधीन कार्यवाही किए जाने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्था प्रबन्धक को उक्त अधिनियम की धारा–16 डी-3 के तहत नोटिस निर्गत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब देवी
राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ड़) यदि नहीं, तो क्यों ?